


प्रमाण-पत्र

प्राचार्य स्व० पं० खेरे प्रसाद विपिन विहारी महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 11-01-2012 के साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि उपजिलाधिकारी बिन्दकी के आदेश दिनांक :-06-11-2007 के अंतर्गत धारा-143 ज०वि०अधि०एवं भूमि व्य० अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय की भूमि खाता संख्या 317/गाटा संख्या 620च /0.4810 हे० खाता संख्या 316/गाटा सं० 620 ड०/0.175 हे०, खाता सं० 275/गाटा संख्या 620घ /0.175हे०, खाता सं० 31/गाटा संख्या 620 ग/0.170 हे० व खाता संख्या 14/गाटा संख्या 620ख/0.175हे० कुल क्षेत्रफल 1.1760 हे० अकृषिक घोषित है एवं यह भूमि शैक्षिक कार्य में प्रयोग की जा रही है।


(डा०बिपिन कुमार)

उपजिलाधिकारी, बिन्दकी
बिन्दकी (फतेहपुर)